क्रमांक 7102-3एस-75/27446

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष;
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल;
हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 8 सितम्बर, 1975

विषय :--जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1430 3एस-71/5968 दिनांक 30-3-1971 की ओर दिलाऊं और बताऊं कि सरकार के देखने में आया है कि लोक निम विभाग के कार्यकारी अभियन्ताओं, जिनका कार्य क्षेत्र (Revenue district Co-terminus) नहीं है और आ तौर पर एक से अधिक जिलों में होता है, की गोपनीय रिपोर्ट पर केवल उसी जिले के उपायुक्त से (निर्धारित तीन पहलू पर) रिमार्कस रिकार्ड करवाये जाते हैं, जिस जिला में उस कार्यकारी अभियन्ता का मुख्यालय (Head quarter) हो । य प्रथा ठीक नहीं है । अतः इन हिदायतों को और स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कार्यकार न्ताओं या अन्य अधिकारियों (जिन की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर उपायुक्त अपने रिमार्कस लिखने के लिए सक्षम है का कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों में हो तो ऐसे सभी अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट पर निर्धारित तीन बिन्दुओं पर उ सभी उपायुक्तों द्वारा रिमार्कस लिखे जाने चाहिएं जिन जिन जिलों में उन अधिकारियों का कार्य क्षेत्र हो। लोक निर्मा विभाग के कार्यकारी इंजीनियरों की गोपनीय रिपोर्ट लिखवाने के लिए प्रोसीजर यह होगा कि अधीक्षक इंजीनियर द्वारा ऐ कार्यकारी इंजीनियर की रिपोर्ट (initiate) की जानी चाहिए और उस के बाद वह रिपोर्ट सभी संबंधित उपायुक्तों (जि जिस जिला में कार्यकारी इंजीनियर का कार्य क्षेत्र पड़ता हो) में से कनिष्ठ उपायुक्त से रिमार्कस पहले रिकार्ड करवाये जा और उसके बाद वह रिपोर्ट उन से वरिष्ठ उपायुक्त को तथा अन्त में वरिष्ठतम उपायुक्त को रिमार्कस रिकार्ड करने हे भेजी जाएं अर्थात् कार्यकारी इंजीनियर की रिपोर्ट सम्बन्धित उपायुक्तों में से (Junior most) उपायुक्त से (Senior most उपायुक्त को बारी बारी अपने रिमार्कस रिकार्ड करने के लिए भेजी जायेगी । (Senior most) उपायुक्त द्वारा यह रिपं विभाग की अगली एथोरेटी अर्थात् मुख्य इंजीनियर को भेज दी जाए । लोक निर्माण विभाग (बी० एण्ड आर०, जन स्वास तथा सिंचाई) कृपया कार्यकारी इंजीनियर के गोपनीय रिपोर्ट फार्म में उपरोक्त अनुसार उपायुक्त से रिमार्कस रिकार्ड करवा बारे आवश्यक (Provision) कर लें तथा उस फार्म में यह भी निर्दिष्ट किया जाए कि (Senior most) उपायुक्त द्वा रिमार्कस लिखे जाने के बाद वह रिपोर्ट अगली किसी अथॉरिटी को भेजी जाए । यह निर्णय वर्ष 1974-75 रिपो से लागू होगा । 1974-75 की जो रिपोर्ट केवल मुख्यालय के उपायुक्त द्वारा ही लिखी गई है उन केसों में जब अ उपायुक्तों को जिन से यह रिपोर्ट लिखवानी रह गई हो (Separate A.C.R. Proforma) भेजकर उक्त (Policy के मुताबिक रिपोर्टस मुकम्मल करवा ली जाएं ।

भवदीय

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :--

(1) वित्तायुक्त हरियाणा ।